

FORM No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अब अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोंक

श्रोजी वगैरे बनाम पॉच्या वगैरे

किस्म मुकद्दमादावा स्थायी निषेधाज्ञा नं. 331 सन् 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.11.2016	<p>अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे, प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 21.12.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी टोंक (उप)</p>	<p style="text-align: center;">8516-25 15-11-16</p>
21/11/16	<p>वकील पदकागण उपर्युक्त वाद पत्रावली निषेधाज्ञा कार्यालय के लक्ष्य में एक वाद है 188/2016 इतने में ही अपाण्डव द्वारा निषेधाज्ञा का वाद के लक्ष्य पदकागण एवं पदकागण अधिवक्ता वाद को वाद 188/2016 में दर्ज किया किसे जाने के लिए कथित है।</p> <p>यां वाद का स्थायी निषेधाज्ञा का भी निमित्त बन गया जाकर हुकम में सार्वजनिक कला का अर्थ है अतः इस वाद को हु.न 188/2016 उनका पंजमा बनाम धरि-नारायण में दर्ज किया किसे जाता है।</p> <p>पवावली के लक्ष्य शुभारंभ होकर नभर के लक्ष्य में जाकर सार्वजनिक इफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी टोंक (उप)</p>	